न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/101/2025	2025/402	01.12.2025	20.04.2026

1. रमेश पुत्र श्री नत्थूराम जाति ब्राहम्ण निवारी ग्राम धोलापलास तहसील मालाखेडा जिला अलवर

—प्रार्थी

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र परसादी जाति ब्राहम्ण,
2. बाबूलाल पुत्र श्री नत्थूराम जाति ब्राहम्ण
3. आनन्दीलाल पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण
4. कन्हैयालाल पुत्र श्रीराम
5. प्यारेलाल पुत्र मोहनलाल
6. बाबूलाल पुत्र मोहनलाल
7. मिश्री पुत्री मोहनलाल
8. रामदयाल पुत्र श्रीराम
9. रामोतार पुत्र पन्नालाल
10. रामावतार पुत्र राधेश्याम
11. लच्छीराम पुत्र पन्नालाल
12. बिशम्भरदयाल पुत्र राधेश्याम
13. शिवलाल पुत्र घासीराम
14. दिलीप सिंह पुत्र देवीसिह
15. सुरेंद्र पुत्र श्री देवी सिंह

समस्त कोम ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम धोलापलास तहसील मालाखोडा जिला अलवर

अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—

01— श्री प्रहलाद पटेल —वकील प्रार्थी

02— श्री योगेन्द्र सिंह चौधरी —वकील अप्रार्थी सं 1 व 2

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के प्रकरण बउनवान रमेश रामचन्द्र वगै० बनाम नत्थूराम, बाबूलाल वगे0 वाद सं. 2/103 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर में विचाराधीन था जिसमें विगत तारीख पेशी ……… …………… नियत थी। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों पर दौराने बहस निवेदन किया कि मुकदमा बअनुवान रमेश रामचन्द्र वगै० बनाम नत्थूराम, बाबूलाल वगे0 वाद सं. 2/103 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत अप्रार्थीण नत्थूराम वगैरा के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के यहां पर दायर किया और दावे के साथ प्रार्थना पत्र दफा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का भी पेश किया जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

मालाखेडा के दिनांक 24.05.2022 को स्टे जारी किया गया है और दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के यहां पर विचाराधीन है। समस्त अप्रार्थीगण खूंखार शख्स है और पैसे वाले हैं जिन्होने एक नाजायज गिरोह बना रखा है जो प्रार्थी को उक्त विवादित आराजी को काश्त नही करने देते है और हमेशा लडाई झगडा मारपीट करने को उत्तारु रहते है और मिन प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई बार पीठासीन अधिकार के चैम्बर से निकलते हुए देखा है और अप्रार्थीगण ऐलानिया कहते है कि हम उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के चल रहे दावे में हमारे पक्ष में निर्णय करवाकर रहेंगे तथा तुम्हारा दावा खारिज होकर रहेगा यह बात अप्रार्थीगण ने दिनाक 10–11–2025 को कही है जिस कारण से हम प्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा में इस मुकदमें में न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। और हमें पूरा भय है कि वो हमारा दावा खारिज करके रहेंगे। इसलिए यह प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल मुकदमा आज बिना किसी देरी के पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल मुकदमा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा में विचाराधीन मुकदमा बअनुवान रमेश वगैरा बनाम नत्थूराम वगैरा दावा इस्तकरारहक तकसीम आराजी हुक्म इम्तनाई को वास्ते सुनवाई किसी दीगर न्यायालय में मुन्तिकल किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 2 बिलकुल असत्य है जो स्वीकार नही है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के खिलाफ कोई नाजायज गिरोह बनाया हो। प्रार्थी को कार्य काश्तकारी नही करने देते हो, और यह भी गलत है कि मिन अप्रार्थीगण कभी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में गये हो और वहां से निकलते हुए प्रार्थी ने देखा हो। यह भी गलत है कि मिन अप्रार्थीण ने कभी धमकी दी हो कि उक्त वाद का निर्णय हमारे हक में होकर रहेगा। यह भी गलत है कि ऐसी कोई बात दिनांक 10.11.2025 को हुई हो। यह भी गलत है कि तुम्हारा दावा खारिज होकर रहेगा। यह भी गलत है कि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के यहां पर न्याया की कोई उम्मीद नहीं है जबकि सही तथ्य यह है कि उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा उक्त दावा में विधिपूर्वक सर्वमान्य सिद्धान्तों के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र का जिमन संख्या 3 असत्य है स्वीकार नहीं। मिन अप्रार्थीण ने दिनांक 10.11.2025 को कोई बात प्रार्थी से नहीं कही। प्रार्थी ने महज मौजूदा प्रार्थना–पत्र को आधार बनाने की नियत से दर्ज की है जो गलत है जबकि सही तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं उक्त दावे में देरी करना चाहता है और किसी ना किसी बहाने उक्त दावे को टालना चाहता है। इस बदनियति से अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा नियमानुसार कार्यवाही कर रहे हैं और उक्त प्रकरण को विधिपूर्वक न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं। प्रार्थना–पत्र का जिमन सं. 4 कानूनी है। प्रार्थना–पत्र का जिमन सं. 5 कानूनी है। प्रार्थना–पत्र का जिमन सं. 6 में जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी उक्त दावे में इससे पूर्व भी दो बार प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल पेश कर चुका है उससे प्रार्थी की बदनियति स्पष्ट जाहिर होती है कि वह उक्त प्रकरण में देरी करना चाहता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि प्रकरण इस न्यायालय में वास्ते साक्ष्यवादी आगामी तारीख पेशी दिनांक ..... नियत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल में अंकित सभी तथ्य निराधार एवं बेबुनियाद है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाद को लम्बित रखने हेतु श्रीमान न्यायालय में पूर्व में दो बार मुन्तकिल

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है जिसका श्रीमान न्यायालय द्वारा नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया है फिर भी प्रार्थी बार–बार मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर इस न्यायालय के वाद को लम्बित रखना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में सभी अप्रार्थीगण की तलवी कराने में असफल रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौजूदा मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र बेबुनियाद झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर महज प्रकरण को अनावश्यक देरी करने की नियम से पेश किया गया है। उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से दिगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावें तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है और ना ही प्रा0पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

डॉ. आर्तिका शुक्ला
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)